

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/आदर्श विद्यालय/विविध/वो-2/2018-19/139

दिनांक : 21/08/18

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय),
समस्त जिले।

स्मरण - पत्र

विषय :- ग्राम पंचायत पर कार्यरत पीईईओ के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय के पत्रांक- शिविरा-माध्य/आदर्श विद्यालय/विविध/वो-2
/2018-19/105 दिनांक 03.08.18 के क्रम में।


उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर कक्षा 01 से 12 तक के विद्यालय के संस्था प्रधान को पीईईओ नियुक्त किया गया है। कई ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होने के कारण उस ग्राम पंचायत के उच्चतम स्तर के विद्यालय (मावि/उप्रावि) के संस्था प्रधान को पीईईओ नियुक्त किया गया है जबकि वर्तमान में विद्यालय क्रमोन्नति उपरांत इन ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय स्थापित किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से भी यदि किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उमावि स्तर का विद्यालय होने के उपरांत भी मावि/उप्रावि स्तर के विद्यालय के संस्था प्रधान को पीईईओ नियुक्त किया गया है तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय के संस्था प्रधान को पीईईओ नियुक्त करने के प्रस्ताव तैयार कर पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय की ई मेल आई.डी.-rajadarshschool2017@gmail.com पर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु आप द्वारा इस कार्य को गंभीरता से न लेते हुए आदिनांक तक इस कार्यालय को प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित नहीं किए गए हैं।

अतः पुनः स्मरण पत्र भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आगामी तीन दिवस के भीतर पीईईओ के प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे। यदि आपके जिले के किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उमावि स्तर का विद्यालय होने के बावजूद मावि अथवा उप्रावि का संस्था प्रधान पीईईओ के रूप में कार्यरत रहता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा एवं आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता से सम्पादित करावें।

www.rajteachers.com



(नूतन बाला कपिला)
संयुक्त निदेशक(कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

क्रमांक-शिविरा-माध्य/आदर्श विद्यालय/विविध/वो-2/2018-19/139

दिनांक : 21/8/18

1. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
(आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर